न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 108/2008 **(RCMS No. 2008/00077)**

वादी

1. घनश्याम पुत्र किशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बतुल बेगम जोजे रमजान मौलानी जाति मुसलमान छीपो का मौहल्ला कुचामनसिटी
2. श्रीमति मोहनीदेवी धर्म पत्नि मूलाराम जाति माली निवासी कुकनवाली तह. कुचामनसिटी
3. बजरंगलाल पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
4. गोपाल पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
5. कन्हैयालाल पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
6. गजानन्द पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
7. गंगाराम पुत्र चतरर्भुज कुम्हार निवासी आसपुरा
8. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

वाद बाबत इस्तकरार हक, रेकर्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 लेण्ड रेकार्ड एक्ट 1956

उपस्थित – श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 30-10-2019

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम आसपुरा पटवार हल्का जिलिया की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 261 रकबा 2.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 262 रकबा 3.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 263 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 264 रकबा 2.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 268 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नम्बर 269 रकबा 2.73 हैक्टर कुल रकबा 11.00 हैक्टर आई हुई है, उपरोक्त खसरान की भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं. 3 ता 6 के नाम राजस्व रेकर्ड में 6.24 हैक्टर भूमि का इन्द्राज 34 बीघा 04 बिस्वा भूमि दर्ज है एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम 2.73 हैक्टर भूमि अर्थात 15 बीघा व प्रतिवादी सं. 7 के नाम 2.03 हैक्टर अर्थात 11 बीघा 06 बिस्वा भूमि का इन्द्राज कर रखा है, बीघा के अनुसार सभी खातेदारान की भूमि हैक्टर में रकबा गलत अंकित कर रखा है, वादी व प्रतिवादी सं. 3 ता 6 के पिता श्री[illegible] ने प्रतिवादी सं. 1 को 15 बीघा भूमि का बेचान सम्वत 2028–2029 में किया [illegible] के [illegible] खसरा नम्बर 41/1 व 41/1 थे, प्रतिवादी सं. 1 के खरीद अनुसार [illegible] वर्तमान में 15 बीघा दर्ज अवश्य है लेकिन हैक्टर में 2.73 हैक्टर की बजाय 2.41 हैक्टर भूमि का इन्द्राज [illegible]दी नं. 1 के नाम होना चाहिये था व इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 7 गंगाराम के रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा का 2.03 हैक्टर की बजाय 1.81 हैक्टर भूमि का इन्द्राज होना चाहिये था, एवं वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के नाम 6.24 हैक्टर भूमि के बजाय 6.78 हैक्टर भूमि का इन्द्राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:18:11 IST
Reason: SelfAttested

....2....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होना चाएिये था, लेकिन राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज होने से इसका नाजायज फायदा प्रतिवादी सं. 1 ने उठाया है, वाद व प्रतिवादी सं. 3 ता 6 के पिता श्रीकिशन के गत खसरा अनुसार खसरा नम्बर 40 व 41 41/1 में हक हिस्से के अनुसार वर्तमान में 6.78 हैक्टर भूमि पर हक आधिपत्य चला आ रहा है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में रकबे का इन्द्राज कम किया गया है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है, प्रतिवादी सं. 1 ने खातेदारी में दर्ज 2.73 हैक्टर भूमि का नाजायज फायदा उठाते हुये दिनॉक 18.05.2004 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 मोहनी देवी को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के विक्रय कर दिया जिसका उसे कोई अधिकार नही था, क्योकि पूर्व में वादी के पिता श्रीकिशन ने प्रतिवादी नं. 1 को 15 बीघा भूमि का बेचान किया था जिसके अनुसार बतुल बेगम को 2.41 हैक्टर भूमि का बेचान करने का ही आधिपत्य गलत राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज के आधार पर अपने हक हिस्से की 2.41 हैक्टर भूमि की बजाय 2.73 हैक्टर भूमि का बिना अधिकार के एवं जानकारी होते हुये व बिना अधिपात्य की भूमि के अधिक भूमि का बेचान किया है, इसलिये उक्त बेचाननामा क्रम सं. 378/04 दिनॉक 18.05.04 अपने आप में नल एण्ड वोईण्ड होने से अवैध घोषित किये जाने योग्य है प्रतिवादी सं. 2 द्वारा खरीद करने के पश्चात वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तब वादी ने मना किया तो उसने भूमि खरीद करना बताया जबकि प्रतिवादी सं. 2 ने प्रतिवादी सं. 1 के आधिपत्य की 2.41 हैक्टर भूमि से अधिक भूमि को वादी के आधिपत्य में है उस पर कब्जा करने से रोका जाना आवश्यक है इसलिये वादी को अपने अधिकारो की सुरक्षार्थ यह वाद लाना आवश्यक हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 261 262 263 264 268 269 कुल रकबा 11.00 हैक्टर भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं. 3 ता 6 के नाम 6.78 हैक्टर भूमि, प्रतिवादी सं. 1 के नाम 2.41 हैक्टर व प्रतिवादी सं. 7 के नाम 1.81 हैक्टर भूमि की खातेदारी की घोषणा कर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावे व इसी माफिक राजस्व रेकार्ड की दुरूस्ती का आदेश प्रतिवादी सं. 8 व उसके एजेन्ट पटवारी हल्का को फरमाया जावे, प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी खरीद सुदा 15 बीघा भूमि अर्थात 2.41 हैक्टर भूमि से अधिक भूमि का बेचान दिनॉक 18.05.2004 प्रतिवादी सं. 2 के हक में किया गया है वह बेचाननामा नल एण्ड वोईण्ड होने से अवैध घोषित किया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी नकल सम्वत 2018–2021, 2022–2025, 2031–2034, 2038–2041, 2047–50, 2059–[illegible] 2071–2074, मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2046–2065, नक्शा ट्रेस की [illegible] खसरा, मिलान क्षेत्रफल, नकल नामान्तरकरण सं. 40, 47, 181, बेचाननामा दिनांक 18.05.2004 प्रस्तुत की, मौखिक साक्ष्य में वादी घनश्याम गवाह भागीरथसिंह के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:18:11 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की, लिखित बहस में वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वादी के 6.24 हैक्टर के स्थान पर 6.78 हैक्टर करने, प्रतिवादी सं. 1 के 2.73 के स्थान पर 2.41 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी सं. 7 के 2.03 हैक्टयर के स्थान पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

1.81 हैक्टर भूमि दर्ज की जावे। मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नं. 40 के नये खसरा नम्बर 259,265,266,222 अंकित हुए, गत 41/1 मि. के नये खसरा नम्बर 261 262 263 264 268 गत 41 मिन 41/1 के नये खसरा नम्बर 269 प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2018–2021 अनुसार ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 40 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 41 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 41/1 रकबा 60 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 51 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा कुल रकबा 88 बीघा 18 बिस्वा दर्ज है, सम्वत 2022–2025 अनुसार ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 40 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 41 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 41/1 रकबा 60 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 51 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा कुल रकबा 88 बीघा 18 बिस्वा नामा. सं. 20 के अनुसार नन्दाराम फौत के बजाय श्रीकिशन पुत्र नन्दाराम कौम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार खसरा नम्बर 40 41/1 दर्ज हुआ, 2026–2029 अनुसार ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 40 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 41 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 41/1 रकबा 60 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 83 बीघा 9 बिस्वा में श्रीकिशन पुत्र नून्दाराम कोम ब्राहम्ण सा. देह मु. बतुल बेगम जोजे रमजान मौलानी सा. कुचामनसिटी कौम मुसलमान 15 बीघा, राजेन्द्रसिंह पुत्र बनेसिंह कौम राजपूत लाछड़ी तहसील लाडनू दर्ज है, सम्वत 2031–2034 अनुसार ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 41 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 41/1 रकबा 60 बीघा 6 बिस्वा में श्रीकिशन पुत्र नून्दाराम कोम ब्राहम्ण सा. देह 34 बीघा, मु. बतुल बेगम जोजे रमजान मौलानी सा. कुचामनसिटी कौम मुसलमान 15 बीघा, राजेन्द्रसिंह पुत्र बनेसिंह कौम राजपूत लाछड़ी तहसील लाडनू 11 बीघा 06 बिस्वा सा. देह खातेदार दर्ज है नामा. सं. 47 दिनॉक 17.06.1975 के स्वीकृत होने पर राजेन्द्रसिंह की जगह गंगाराम पुत्र चतरभुज कुम्हार सा. कुचामनसिटी के नाम दर्ज किया गया, सम्वत 2038–2041 अनुसार ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 41 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 41/1 रकबा 60 बीघा 6 बिस्वा में श्रीकिशन पुत्र नून्दाराम कोम ब्राहम्ण सा. देह 34 बीघा, मु. बतुल बेगम जोजे रमजान मौलानी सा. कुचामनसिटी कौम मुसलमान 15 बीघा, गंगाराम पुत्र चतरभुज कौम कुम्हार सा. कुचामनसिटी 11 बीघा 06 बिस्वा सा. देह खातेदार दर्ज है, खसरा नम्बर 40 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा में श्रीकिशन पुत्र नन्दाराम कौम ब्रहाम्ण 11 बीघा 13 बिस्वा गंगाराम पुत्र चतुरभुज कौम कुम्हार सा. कुचामनसिटी 11 बीघा 06 बिस्वा दर्ज है, मिसल बन्दोबस्त नकल सम्वत 2046–2065 मे आसपुरा के खसरा नम्बर 261 262 263 264 268 269 कुल रकबा 11.00 हैक्टर में श्रीकिशन पुत्र नन्दाराम कौम ब्राहम्ण सा. देह 6.24 34 बीघा 04 बिस्वा मु. बतुल बेगर जोजे रमजान मौलानी सा. कुचामन कौम मुसलमान 2.73 15 बीघा गंगाराम पुत्र चतुरभुज कौम कु[illegible] 11 बीघा 06 बिस्वा दर्ज है, सम्वत 2059–62 मे सुप्यारदेवी बेवा श्रीकिशन [illegible] घनश्याम गोपाल कन्हैयालाल गजानन्द पि. श्रीकिशन कौ[illegible] बीघा 04 बिस्वा मु. बतुल बेगर जोजे रमजान मौलानी सा. कुचामन कौम मुसलमान 2.73 15 बीघा गंगाराम पुत्र चतुरभुज कौम कुम्हार 2.03 11 बीघा 06 बिस्वा दर्ज है, [illegible]यान दस्तोवज दिनॉ 18.05.2004 अनुसार बतुल बेगम द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा मोहनी देवी को बेचान कर दिया गया, वर्तमान जमाबन्दी नकल सम्वत 2075–2078 ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 261, 262, 263, 264, 268 269

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:18:11 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

कुल रकबा 11.00 हैक्टर मे कन्हैयालाल पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 156/1375 जाति ब्राहम्ण सा. देह राहिन दी ना.स.का.आ.बैं. शाखा कुचामनसिटी खातेदार गंगाराम पुत्र चतरभुज हिस्सा 177/1100 जाति कुम्हार सा. कुचामनसिटी खातेदार गजानन्द पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 156/1375 जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार गोपाल पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 156/1375 जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार घनश्याम पुत्र श्रीकिशन हिस्सा 156/1375 जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार राहिन दी ना.स.का.आ.बैं. शाखा कुचामनसिटी नरेन्द्रपालसिंह पुत्र गणपतसिंह हिस्सा 156/1375 राजपूत सा. देह खातेदार मुन्नीदेवी पत्नि रामेश्वरलाल हिस्सा 13/550 जाति कुमावत सा. कुचामनिसटी खातेदार मोहनी देवी पत्नि मूलाराम हिस्सा 273/1100 जाति माली सा. कुकनवाली खातेदार दर्ज है। वादी के पूर्वज का गत खसरा नम्बर 41, 41/1 मे 34 बीघा भूमि दर्ज चली आई है वक्त सेटलमेंट गत खसरा में स्थित रकबा 34 बीघा 4 बिस्वा ही दर्शाया गया है तथा हैक्टर प्रणाली के हिसाब से रकबा 6.24 हैक्टर दर्ज किया गया जिसका 38 बीघा 11 बिस्वा भूमि होती है, वादी का कथन है कि प्रतिवादी मोहनी के दर्ज रकबा 2.73 के स्थान पर 2.41 बीघा दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी गंगाराम के 2.03 हैक्टर के स्थान पर 1.81 हैक्टर दर्ज किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी 4 ता 6 के नाम 6.78 हैक्टर दर्ज किया जावे, वादी द्वारा अपने वाद पत्र मौखिक साक्ष्य इत्यादि में यह कही भी अंकित नही किया गया है कि उनके 6.24 हैक्टर के स्थान पर 6.78 भूमि कैसे दर्ज की जावे, जबकि उपलब्ध रेकार्ड जमाबंदी इत्यादि में गत खसरा नम्बर 41, 41/1 में उनके पूर्वजों के नाम स्पष्ट रूप से 34 बीघा का अंकन रहता आया है, प्रतिवादी बतुल बेगम के 15 बीघा तथा गंगाराम के 11 बीघा 06 बिस्वा भूमि दर्ज चली आई है, उपरोक्त तीनो खातेदारान के वक्त सेटलमेंट में केवल रकबा बढ़ाया गया है परन्तु मौके पर स्थित भूमि उतनी है जितनी उनके कब्जे काश्त में पूर्ववत ही दर्ज चली आई है, मौका रिपोर्ट भी दिनॉक 30.10.2013 अनुसार वादग्रस्त खसरा के अलावा अन्य खसरान को मिलाकर बनाई गई है जिसका कोई औचित्य नही है, वादी का वाद किसी भी ऐसे दस्तावेज इत्यादि से साबित नही होता है कि उसके हिस्से में रकबे की वृद्वि की जावे, वर्तमान जमाबन्दी में अंकित हिस्से पर पक्षकारान शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा वादी के भाई बजंरगलाल द्वारा अपना हिस्सा अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया है। गत खसरा नम्बर एवं वर्तमान खसरा नम्बर का मिलान करने पर भी मौके पर भूमि का घटना–बढ़ना प्रतीत नही होता है।अतः वाद वादी साबित करने मे असफल रहा है। अतः वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:18:11 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 30-10-19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 108/2008 **(RCMS No. 2008/00077)**

वादी

1. घनश्याम पुत्र किशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. बतुल बेगम जोजे रमजान मौलानी जाति मुसलमान छीपो का मौहल्ला कुचामनसिटी
2. श्रीमति मोहनीदेवी धर्म पत्नि मूलाराम जाति माली निवासी कुकनवाली तह. कुचामनसिटी
3. बजरंगलाल पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
4. गोपाल पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
5. कन्हैयालाल पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
6. गजानन्द पुत्र श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी आसपुरा
7. गंगाराम पुत्र चतरर्भुज कुम्हार निवासी आसपुरा
8. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

वाद बाबत इस्तकरार हक, रेकर्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 लेण्ड रेकार्ड एक्ट 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 10 सन् 2019 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमि□नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा ... चाहे ... दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 18:18:11 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official